न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू 04.10.2021

सिविल प्रकरण संख्याः– 29 / 2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. गोविन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री राधामुकुन्द खण्डेलवाल जाति महाजन (एबीओ व मालिक)–फर्म–खण्डेलवाल ट्रेडर्स, शिव मन्दिर के पास, शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर निवासी राज की हवेली, कुम्हारों का मोहल्ला, शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर (राज.)
2. शिमला देवी गुप्ता पत्नि श्री गोपाल लाल गुप्ता (मालिक)–निर्माता फर्म–गोविन्द इण्डस्ट्रीज, एच–155, रिको इन्डस्ट्रियल एरिया, आईआईटी सेन्टर, निवाई जिला टोंक–304021, निवासी प्लाट नं0 40, जैन कॉलोनी, झिलाय रोड, निवाई जिला टोंक (राज.)–304021

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

दिनांक 30/9/22

निर्णयः–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 11.03.2021 को समय लगभग 03.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु फर्म–खण्डेलवाल ट्रेडर्स, शिव मन्दिर के पास, शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर पर श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता स्वास्थ्य निरीक्षक, कार्यालय बी.सी.एम.ओ. गंगापुरसिटी एवं श्री श्यामलाल कासोटिया, गिरदावर, शिवाड के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहाँ पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम गोविन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री राधामुकुन्द खण्डेलवाल जाति महाजन बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया। गोविन्द खण्डेलवाल अपनी दुकान पर मसाले, किराना, परचून व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने विक्रेता से दुकान का वर्ष 2021 का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं स्वयं का परिचय पत्र दिखाने को कहा तो विक्रेता ने दुकान का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन व स्वयं का फोटो पहचान पत्र दिखाया तथा उनकी एक–एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु **खाद्य पदार्थ लालमिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक** के एक [illegible] एक लकडी की रैक में रखे हुए थे। रेक में रखे हुए **खाद्य पदार्थ लालमिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक** का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने [illegible] विक्रेता व दुकान मालिक गोविन्द खण्डेलवाल से उक्त **खाद्य पदार्थ लालमिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक** का शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु [illegible] विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर [illegible] एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक ने दुकान पर एक रैक में रखे हुए **खाद्य पदार्थ लालमिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक** के पैकिटों में से 4 पैकिट शुद्धता व लेबल की जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:16 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

हेतु नमूना लेने बाबत खरीदे जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 400/— रूपये अक्षरे चार सौ रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करने पर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदां **खाद्य पदार्थ लालमिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक** के चारो पैकिटों को चार साफ सूखे व खाली प्लास्टिक के डिब्बों में अलग—अलग रखकर चारो डिब्बों के ढक्कन अच्छी से टाइट बंद कर चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वसं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों के प्रत्येक डिब्बे पर अलग—अलग चिपकाकर प्रत्येक डिब्बे को अलग—अलग ब्राउन पेपर में लपेटकर पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक डिब्बे पर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **एच—2014** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाकर प्रत्येक डिब्बे को मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार—चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारो डिब्बे पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक गोविन्द खण्डेलवाल से उक्त खाद्य वस्तु के आगामी माल खरीद बिल/वारन्टी के बारे में पूछा तो उसने फर्म—गोविन्द इण्डस्ट्रीज, एच—155, रिको इन्डस्ट्रियल एरिया, आईआईटी सेन्टर, निवाई जिला टोंक द्वारा जारी टैक्स इन्वाइस संख्या 687 दिनांक 01.03.2021 आवेदक को दिखाया एवं बताया कि उक्त नमूने का माल इसी बिल के जरिये खरीदा है। खरीद बिल की एक स्वप्रमाणित प्रति भी दी। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर, सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग—अलग से सील्ड लिफाफे में श्री धर्मेन्द्र गौतम, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। बाकी बचे नमूने की दो सील बन्द डिब्बे (ii व iii पार्ट) व फार्म नं0 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द डिब्बा (iv पार्ट) व फार्म नं0 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 12.03.2021 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को स्वयं जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र कमांक एफएसएसए/2021/708 दिनांक 05.04.2021 ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/378/एक्ट/2021/460 दिनांक 24.03.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ लालमिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006) प्रकृति** का पाया गया।

अतः प्रकरण में व्रिकेता/खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा **मिथ्याछाप (Misbranded Food) खाद्य वस्तु लालमिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक** का निर्माण एवं विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 क[illegible]ध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने [illegible] रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त द्वारा आज दि[illegible] 30.09.2022 को उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी गलती [illegible] दण्डित कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने बाबत निवेदन करने पर पत्रावली [illegible] की जाकर आज दिनांक 30.09.2022 को पेश हुयी। पत्रावली पेश होने पर अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:16 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा **खाद्य वस्तु लालमिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक** मिसब्राण्ड खाद्य प्रकृति के का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य वस्तु **लालमिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम** को **मिथ्याछाप (Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006)** प्रकृति का माना जाकर स्वंय द्वारा जुर्म स्वीकार किया है तथा भविष्य में का खाद्य पदार्थ का आगे विक्रय नहीं करने हेतु बहस में निवेदन कर न्यूनत्तम शास्ति के दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/378/एक्ट/2021/460 दिनांक 24.03.2021 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/378/एक्ट/2021/460 दिनांक 24.03.2021 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु **लालमिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक मिथ्याछाप (Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006)** पाया है जिसको अभियुक्त द्वारा स्वंय ने अपने जवाब/बहस में स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु लालमिर्च पाउडर (गोविन्द ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 2 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत [illegible] प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले [illegible] में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:55:16 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर